Unit -IV LL.B 5Y & 3Year II[nd] Sem

Human Rights in India

Human Rights norms reflected in ~~Fundamental~~

Fundamental rights in the Indian Constitution

Directive Principles - Legislative and administrative ~~impact~~ implementation of international Indian Rights norms

Judicial activism and reform form Human Rights in India

Role of Non-~~Govern~~ Governmental Organization

Scanned with CamScanner

Unit IV

(क) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा	भारतीय संविधान
1. व्यक्ति के जीवन एवं सुरक्षा का अधिकार (अनु॰ 3)	अनु॰ 21
2. दासता, दास व्यापार आदि की निषिद्धि (अनु॰ 4)	अनु॰ 23
3. विधि के समक्ष समानता तथा गैर भेदभाव (अनु॰ 7)	अनु॰ 14 तथा अनु॰ 15(1)
4. प्रभावी उपचार का अधिकार अनु॰ 8 (अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उपचार)	अनु॰ 32
5. मनमानी गिरफ्तारी, निरुद्ध आदि के विरुद्ध अधिकार (अनु॰ 9)	अनु॰ 22
6. भूतलक्षी विधियों के विरुद्ध अधिकार अनु॰ 11(2)	अनु॰ 20(1)
7. सीमा के भीतर संचरण का अधिकार अनु॰ 13(1)	अनु॰ 19(1)(घ)
8. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनु॰ 19	अनु॰ 19(1)(क)
9. शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता अनु॰ 20(1)	अनु॰ 19(1)(ख)
10. संगठन अथवा संघ निर्माण का अधिकार 23(4)	अनु॰ 19(1)(ग)
11. विचार अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता अनु॰ 18	अनु॰ 25(1)
12. लोक सेवा में समान प्रवेश का अधिकार अनु॰ 21(2) (लोक नियोजन में अवसर की समानता)	अनु॰ 16(1)
13. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार अनु॰ 22	अनु॰
14. सम्पत्ति पर स्वामित्व तथा सम्पत्ति से वंचित न किये जाने का अधिकार अनु॰ 17 →	अनु॰ 19(1)(च) (परन्तु इस अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था अब यह संविधान के अनु॰ 300क है। लेकिन Fundamental Rights नहीं है।

(ख) आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा	भारतीय संविधान
1. कार्य करने, नियोजन का स्वतंत्र चयन तथा कार्य की अनुकूल दशाओं आदि के अधिकार अनु॰ 23(1)	अनु॰ 41
2. समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार (अनु॰ 23(2)	अनु॰ 39(घ)
3. उचित तथा अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार अनु॰ 23(3)	अनु॰ 43
4. विश्राम एवं अवकाश का अधिकार (अनु॰ 24)	अनु॰ 43
5. प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा अपने परिवार के लिये उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार अनु॰ 25(1)	अनु॰ 39(क) तथा अनु॰ 47
6. प्रारम्भिक एवं मौलिक चरणों में शिक्षा एवं नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अनु॰ 26(1)	अनु॰ 41 तथा अनु॰ 45
7. उचित सामाजिक व्यवस्था का अधिकार (अनु॰ 28)	अनु॰ 38

(ग) नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा	भारतीय संविधान
1. व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार अनु॰ 6 (1) तथा 9 (1)	अनु॰ 21
2. जबरन एवं अनिवार्य श्रम से स्वतंत्रता (अनु॰ 8 (3)	अनु॰ 23
3. अवैध गिरफ्तारी एवं निरोध से स्वतंत्रता अनु॰ 9 (2) (3) व (4) →	अनु॰ 22
4. आवागमन एवं निवास के चयन की स्वतंत्रता अनु॰ 12 (1) →	अनु॰ 19 (1) घ व ड़
5. न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों के समक्ष समानता अनु॰ 14 (1) →	अनु॰ 14
6. अपने विरुद्ध गवाही देने या दोष स्वीकार करने को विवश न किये जाने का अधिकार [अनु॰ 14 (3) (छ)]	अनु॰ 20 (3)
7. दोहरे दण्ड के विरुद्ध अधिकार [अनु॰ 14 (7)]	अनु॰ 20 (2)
8. भूतलक्षी विधियों के विरुद्ध अधिकार [अनु॰ 15 (1)]	अनु॰ 20 (1)
9. विचार, अन्तःकरण एवं धर्म का अधिकार [अनु॰ 18 (1)]	अनु॰ 25
10. बिना हस्तक्षेप के मत रखने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार [अनु॰ 19 (1) तथा (2)]	अनु॰ 19 (1) (क)
11. शान्तिपूर्ण सभा करने का अधिकार (अनु॰ 21)	अनु॰ 19 (1) (ख)
12. अन्य लोगों के साथ संघ बनाने का अधिकार (अनु॰ 22 (1))	अनु॰ 19 (1) (ग)
13. देश की लोक सेवा में समानता के आधार पर प्रवेश का अधिकार [अनु॰ 25 (ग)]	अनु॰ 16 (1)
14. विधि के समक्ष तथा बिना भेदभाव के विधि के समान संरक्षण का अधिकार (अनु॰ 26)	अनु॰ 14 तथा अनु॰ 15 (1)
15. अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति तथा अपने धर्म का उपभोग, प्रसार तथा अभ्यास का तथा भाषा प्रयोग करने का अधिकार (अनु॰ 27)	अनु॰ 29 तथा अनु॰ 30

Scanned with CamScanner

(घ) आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा	भारतीय संविधान
1. समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार अनु० 7क (i)	अनु० 39 (घ)
2. बच्चों एवं युवक लोगों का संरक्षण अनु० 10 (3)	अनु० 39 (च)
3. कार्य करने या नियोजन का अधिकार अनु० 6 (i)	अनु० 41
4. सुरक्षित एवं स्वस्थ्य कार्य दशाओं का अधिकार तथा बच्चों के पूर्व माँ के संरक्षण का अधिकार [अनु० 7 ख तथा 10 (2)] प्रसूति सहायता	अनु० 42
5. कर्मकारों का अपने तथा अपने परिवारों के लिये अच्छे जीवन स्तर का अधिकार तथा उनका विश्राम, अवकाश तथा कार्य करने के घंटों की युक्तियुक्त परिसीमायें [अनु० 7 (क) (ii) तथा 7 (घ)] श्रमिक के लिये मजदूरी	अनु० 43
6. राज्य का माध्यमिक शिक्षा को सामान्यतः उपलब्ध कराने का अधिकार [अनु० 13 (2) (क)]	अनु० 45
7. अपने तथा अपने परिवार के लिये उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार [अनु० 11]	अनु० 47
8. शिक्षा का अधिकार ~~[illegible]~~ अनु० 13(A)	अनु० 21(A)

Scanned with CamScanner

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)

मानव अधिकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय (Human Rights and Indian Supreme Court)

भारतीय संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों या मानवाधिकारों का प्रहरी घोषित किया गया है।
मानवाधिकारों को लागू करने के लिए व्यक्ति को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार प्राप्त है।
उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों के सम्बन्ध में अनेक ऐतिहासिक फैसले दिये हैं तथा इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया है।

1. अनु॰ 14 के सम्बन्ध में

अनु॰ 14 प्रमुखतया समानता की बात को उल्लेखित करता है तथा वर्ग-विधान का निषेध करता है और युक्ति-युक्ति वर्गीकरण को मान्यता देता है।

इ॰ पी॰ रोयप्पा ब॰ तमिलनाडु राज्य A.I.R 1974 SC 597.
के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समता की पारम्परिक धारणा, को, जो 'युक्तियुक्त वर्गीकरण' के सिद्धान्त पर आधारित है, मानने से अस्वीकार कर दिया है और एक नया दृष्टिकोण अपना है। न्यायाधिपति भगवती ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि "समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं और इसे परम्परागत और सिद्धान्तवाद की सीमाओं से नहीं बाधा जा सकता है। अनु॰ 14 राज्य की कार्यवाहियों में मनमानेपन (arbitrariness) को वर्जित करता है और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्तियुक्तता का सिद्धान्त समता के सिद्धान्त का एक आवश्यक तत्व है जो अनु॰ 14 में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समता और मनमानापन एक-दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ कोई कार्य मनमाना किया जायेगा वहाँ असमानता अवश्य होगी और अनु॰ 14 का अतिक्रमण होगा।"

मेनका गाँधी ब० भारत संघ A.I.R 1978 SC597 के वाद मे न्यायाधीश श्री भगवती ने ई०पी० रोयप्पा के मामले मे प्रतिपादित समता के नूतन सिद्धान्त की पुष्टि की तथा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट अथोरिटी मामला A.I.R 1979 SC1628 में एक न्यायिक सूत्र (Judicial Formula) के रूप में स्वीकार किया गया

2. अनु०21 के सम्बन्ध में -

मेनका गाँधी मामले से पहले की स्थिति - मेनका गाँधी के मामले से पूर्व अनु०21 मे विस्तृत व्याख्या नही की गई थी।

ए०के० गोपालन ब० मद्रास राज्य A.I.R 1952 SC27 के मामले मे 'सीमित दैहिक स्वतन्त्रता' को मान्यता दी गई थी।

मेनका गाँधी मामले के बाद की स्थिति -

मेनका गाँधी ब० भारत संघ A.I.R 1978 SC597 के मामले उच्चतम न्यायालय ने अनु०21 को एक नया आयाम दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नही है, बल्कि इसमे मानव गरिमा को बनाये रखते हुए जीने का अधिकार है। "दैहिक स्वतन्त्रता" शब्दावली अत्यन्त व्यापक अर्थ वाली पदावली है और इसके अन्तर्गत ऐसे बहुत से अधिकार शामिल है, जिनमे व्यक्ति की दैहिक स्वतन्त्रता का गठन होता है।

अनु० 21 के अन्तर्गत अधिकार (Rights under Art-21)

वर्तमान में अनु० 21 में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों के अनुसार व्यक्ति को प्रमुखत: निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं -

(1) जीविकोपार्जन का अधिकार (Right to livelihood)

ओल्गा टेलिस ब० बाम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन A.I.R 1986 SC 180 के वाद में निर्धारित किया गया है कि जीविकोपार्जन का अधिकार प्राण के अधिकार के अन्तर्गत है। क्योकि कोई व्यक्ति जीवित रहने के साधन बिना अर्थात जीविकोपार्जन के साधन के बिना जीवित नही रह सकता है।

(6) लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार → लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को अनु॰ 21 के अन्तर्गत मूल अधिकार मानते हुए एवं भूरे लाल समिति की रिपोर्ट को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किये कि 2 अक्टूबर 1998 से देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे सभी व्यापारिक वाहन (Commercial vehicles) ट्रक बस, टैक्सी एवं आटो रिक्शा इत्यादि जो कि 15 साल या उससे अधिक पुराने हो चुके हैं को सड़कों पर चलाने से प्रतिबन्धित कर दिया है। एम॰ सी॰ मेहता ब॰ यूनियन आफ इण्डिया (1998) 6 SCC 63

(7) विदेश यात्रा का अधिकार (Right to travel Abroad)
सतवन्त सिंह ब॰ असिस्टेन्ट पासपोर्ट अधिकारी, नयी दिल्ली (AIR 1967 SC 1836) के मामले में निर्धारित किया गया है कि दैहिक स्वतन्त्रता में संचरण की अर्थात इच्छानुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है (मेनका गाँधी ब॰ भारत संघ AIR 1978 SC

(8) शीघ्र परीक्षण का अधिकार → हुस्न आरा खातून ब॰ बिहार राज्य (AIR 1979 SC 1360) के वाद में निर्धारित किया गया कि शीघ्रतर परीक्षण तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनु॰ 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतन्त्रता के मूल अधिकार का आवश्यक तत्व है।

(9) अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण - नीलबती बेहरा ब॰ उड़ीसा राज्य (1993) 2 SCC 746 के वाद में निर्धारित किया गया कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होती है तो उसे पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को प्रतिकर देना होगा।

(10) प्रतिकर पाने का अधिकार (Right to Compensation)
नीलबती बेहरा ब॰ उड़ीसा राज्य (1993) 2 SCC 41 - के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उल्लेखित किया है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एवं राजनैतिक अधिकारो की प्रसंविदा को 1976 में स्वीकार किया था जिसमे कहा गया है कि मानव अधिकारो के उल्लंघन पर पीड़ित को प्रतिकर दिलाकर न्याय दिलाना चाहिए परन्तु भारत ने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की है अतः न्यायालय अनु॰ 32 के तहत मूल अधिकारो के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिला सकता है पर प्रतिकर पीड़ित व्यक्ति को सामान्य विधि में मिलने वाले प्रतिकर से भिन्न होगा।

Scanned with CamScanner

(2) मरने का अधिकार (Right to die) श्रीमती ग्यान कौर ब० पंजाब राज्य (1996) 1 SCC 649 के वाद में निर्धारित किया गया कि 'मरने का अधिकार' 'प्राण के अधिकार' में शामिल नहीं है क्योंकि प्राण के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल है जबकि मरने का अधिकार 'जीने के अधिकार' के विरुद्ध है।

(3) चिकित्सा का अधिकार (Right to Medical Aid)

परमानन्द कटारा ब० भारत संघ (1989) 4 SCC 1989 के मामले में यह निर्धारित किया गया है "कि राज्य की अनु० 21 के अधीन यह बाध्यता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे चाहे वह दोषी हो या न हो, प्रत्येक रोगी को तुरन्त चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए" पश्चिमबंगाल खेत मजदूर समिति ब० वेस्ट बंगाल 1996 SC के वाद में निर्धारित किया गया कि सरकारी अस्पतालों द्वारा जरूरत-मन्द व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफलता अनु० 21 द्वारा प्रदत्त प्राण के अधिकार का उल्लंघन है।

(4) शिक्षा पाने का अधिकार (Rights to Education)

उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन ब० आंध्रप्रदेश राज्य (1993) 4 SCC 645 के वाद में निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है तथा अनु० 21 इसे मूल अधिकार की मान्यता देता है।

(5) एकान्तता का अधिकार (Right to privacy)

गोविन्द ब० मध्य प्रदेश A.I.R 1975 SC 1295 मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एकान्तता का अधिकार (अनु० 21 मे है।

राजगोपाल ब० तमिलनाडु राज्य (1994) 6 SCC 632 के वाद में कहा गया कि एकान्तता का अधिकार संविधान के अनु० 21 का उल्लंघन है जोकि एक मूल अधिकार है। कोई भी किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नही कर सकता।

पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज ब० भारत संघ AIR 1997 SC 568 के वाद में निर्धारित किया गया कि टेलीफोन टेपिंग अनु० 21 के तहत प्राप्त एकान्तता के अधिकार पर गम्भीर आक्रमण है। इसे सिर्फ लोकहित मे ही किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

3. अनु॰ 22 के सम्बन्ध में

डी॰के॰ बासू ब॰ पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 1997 SC 610 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी भी प्रकार का क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार चाहे वह जाँच के दौरान पूछने पर या अन्य स्थान पर हो, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि शासन द्वारा शासित सभ्य समाज मे सबसे खराब अपराध है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि व्यक्ति को प्राप्त संवैधानिक संरक्षणों के पालन में विफलता होती है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जायेगा। न्यायालय द्वारा इन सबको कठोरता से पालन किये जाने के लिए कहा गया है।

भारतीय संविधान में मानवीय अधिकार (Human Rights in Indian Constitution)

भारतीय संविधान निर्माता मानवाधिकारों के प्रतिश्रुत रू से ही सजग रहे हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा-पत्र 1948 के मुख्य मानवीय अधिकारों को भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान मे रखा गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अधिकारों को मानव अधिकार कहा जा सकता है-

1. नागरिकता का अधिकार (Rights to citizenship) अनु॰ 5 के तहत व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है।

2. समता का अधिकार (Right to equality) अनु॰ 14 से 18 तक में निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं
   (i) विधि के समक्ष समता तथा विधि की समानता।
   (ii) अवसर की समानता।
   (iii) छुआछूत का उन्मूलन।
   (iv) उपाधियों का उन्मूलन।

3. स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to freedom) अनु॰ 19 में विभिन्न प्रकार की 6 स्वतन्त्रतायें दी गई है, जो कि मानव अधिकारों से सम्बन्धित है।

Scanned with CamScanner

4. जीने का अधिकार (Right to life) अनु० 21 में जीवन तथा दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है तथा अनु० 22 में मनमानेपन के विरुद्ध गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में अधिकार हैं।

5. शोषण के विरुद्ध अधिकार → अनु० 23 तथा 24 में व्यक्ति से बेगार तथा 14 वर्ष से कम आयु के बालक से काम न लेने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

6. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार - अनु० 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतन्त्रतायें दी गई हैं।

7. सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार - अनु० 29 एवं 30 में व्यक्ति को सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं।

8. संवैधानिक उपचारों का अधिकार → अनु० 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है।

Scanned with CamScanner

भारत और मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठन (India and Human Rights NGO's)

मानवाधिकार से सम्बन्धित गैर-सरकारी संगठनो ने विशेष रूप से विकासशील देशों में मानवाधिकारों के अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए सराहनीय भूमिका अदा की है। भारत में कई ऐसी गैर-सरकारी संगठन है जिनकी गतिविधियाँ मानव कल्याण के साथ-साथ मानवाधिकारों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे फैली हुयी है। सच्चाई यह है कि मानवाधिकारों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि मे बिना गैर-सरकारी संगठनो के पूर्ण सहयोग के गति लाई ही नही जा सकती है।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12(i) में यह प्रावधानित है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासो को प्रोत्साहित करें।

भारत में कुछ ऐसे गैर-सरकारी संगठन है जो कि मानवाधिकारो के संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं; प्युपिल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (People's Union for civil Liberties); प्यूपिल्स वॉच (People's Watch); एक्शन एड इंडिया (Action Aid India); हेल्प एज इंडिया (Help Age India) और वोल्यन्टरी हेल्थ एसोशिएसन (Voluntary Health Association)।

प्यूपिल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (People Union for civil Liberties) जो कि मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये स्थापित किया गया है का विवरण निम्नवत है -

Scanned with CamScanner

प्यूपिल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (People's Union for civil Liberties (PUCL)) भारत में

प्यूपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एवं डेमोक्रेटिक राइट्स (PUCLDR) की स्थापना सन 1976 में आपातकाल के दौरान उस समय हुई जब सरकारी तौर पर आम जनता के मूलअधिकारों को निलम्बित कर दिया गया था। सन 1980 में, प्यूपिल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज का नाम दिया। सम्मेलन मे प्यूपिल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज के संविधान को अंगीकार किया गया। इसमें संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को वर्णित किया गया है जो निम्नवत है (1) सम्पूर्ण भारत में जीवन के लोकतांत्रिक तरीको एव नागरिक स्वतंत्रताओ को शांतिपूर्ण ढंग से संवर्धित एवं अंगीकृत करना; (2) व्यक्तियों के व्यक्तिगत गरिमा के सामान्य सिद्धान्तों को सुनिश्चित करना; (3) दाण्डिक विधियों एवं दाण्डिक प्रक्रियाओं मे ऐसा अनवरत परिवर्तन लाना जिससे मानवीय स्वतंत्रताओ के साथ सामंजस्य बनाया जा सके; (4) प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना (5) न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं विधि के शासन को सुनिश्चित करना; (6) गरीबों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना; (7) जेल सुधारों को लागू करना (8) जन्म स्थान, लिंग, जाति, समुदाय एवं धर्म के आधार पर भेद भाव का विरोध करना; (9) ऐसी सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध लड़ना जो कि नागरिक स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण करती हैं जैसे अस्पृश्यता आदि; (10) बच्चों, महिलाये एवं विशेष रूप से समाज के कमजोर या दुर्बल समूहों की नागरिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षा प्रदान करना।

प्यूपिल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज राष्ट्र स्तर पर शायद सबसे प्रमुख गैर-सरकारी संगठन है जो कि राज्यो द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये प्रयत्नशील है। भारत के सभी राज्यो मे पी॰यू॰सी॰एल की शाखाएं हैं यह एक भलाकारी एवं सरकार से स्वतंत्र संगठन है पी॰यू॰सी॰एल किसी वित्तीय संस्था से धन नही स्वीकार करती हैं। PUCL का संचालन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से किया जाता है। स्थानीय एवं राज्य स्तर पर भी इसी तरह के निकायों का अस्तित्व है। PUCL ने विभिन्न अग्रभागो मे कार्य किया है इसने HC & SC मे बहुत सारे जनहित याचिकाएं (PIL) दाखिल किया है इसने न्यायमूर्ति वी॰ आर॰ कृष्णाअय्यर के नेतृत्व में एक जेल मैनुअल एवं जेल अधिनियम भी तैयार किया है।

Scanned with CamScanner